उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–20 / 2015–16

इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी0एस0सिटी

बनाम्

M/S ललन गोप एवं अन्य

–: आदेश :–

06.09.2018

प्राधिकृत पदाधिकारी, इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी0एस0सिटी, बोकारो द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत M/S Lalan Gope, a partnership firm, Partners: श्री सुनील कुमार यादव पिता श्री कैलाश यादव क्वा0सं0–1329, स्ट्रीट–07, सेक्टर–9 / A बोकारो स्टील सिटी एवं श्री ललन गोप पिता श्री शत्रुघन गोप रा0 वंशीडीह, चारा, बोकारो के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति / भूमि पर दखल कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी0एस0सिटी, बोकारो की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (All that part and parcel of the property in Name of Sri Sunil Kumar Yadav consisting of Plot No. 125, Khata No. 17 Total Area-72 decimal, Mouza- Demudih, Thana- Chas Thana No.-29 conveyed vide Lease Deed No. 2191 dated 25.02.2011, 2193 dated 25.02.2011 and 2195 dated 25.02.2011) को गिरवी रखते हुए 46,00,000 / (छियालिस लाख) रूपये का बैंक से ऋण लिया गया था, जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है। ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–30.04.2014 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के वाबजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में मुख्य प्रबंधक के द्वारा सरफेसी एक्ट–2002 की

धारा 14 (**1 and 2**) के तहत विपक्षी के सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस बल की माँग की गई है ताकि शांति व्यवस्था भगं नहीं हो।

विपक्षी अनुपस्थित। विपक्षी नोटिस प्राप्त करने के बाद भी सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित हैं। अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि विपक्षी के द्वारा आज तक अपने बचाव में किसी भी प्रकार का कारण–पृक्षा दाखिल नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है और न ही उन्हें अपने बचाव में कुछ कहना है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा, बी0एस0सिटी, बोकारो के अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें ।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

06.09.18
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

C. C. Issued Vide No 9784 Dated 24/9/18

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.06 15:21:47 +05:30
Location: 192.168.1.100